

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR

Endt.No. C/2784...../  
III-6-4/72-XI

Jabalpur, dated 04...../07/2017

The copy of notification no. 1136-1488-17-50-2 dated 16-05-2017 issued by State Government, Department of Women & Child Development, Mantralaya Vallabh Bhawan, Bhopal is forwarded to :-

- 1- The Principal Secretary, Law & Legislative Affairs Department, Bhopal for information.
- 2- The District and Sessions Judge, .....
- 3- The District Judge (Inspection & Vigilance), Jabalpur, Indore, Gwalior
- 4- Shri/Smt.....CJM/JMFC & Principal Magistrate of District.....
- 5- The Principal Registrar Bench at Indore/Gwalior High Court of M.P., Jabalpur.
- 6- Registrar (J.)/(D.E.)/(A)/(Vig.)/(Vl.)/(A.W.), OSD(DE) High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur.
- 7- P.S. to Hon'ble the Chief Justice ,High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for placing the matter before His Lordships,
- 8- P.S. to Registrar General/ Principal Registrar(Judl)/ Principal Registrar (Inspection & Vigilance),/ Principal Registrar (Examination & ILR)/OSD(DE) High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
- 9- P.A. to Director/Additional Director/MPSJA, High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
- 10- Section Officer, Checker/Confidential/Work Section/Budget, High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
- 11- Computer Operator, Confidential Section , High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
- 12- Server Room Computer for uploading the same in NIC.

  
(VIVEK SAXENA)  
OSD(DE)

गया है, ऐसे वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाओं का हकदार होगा जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुज्ञेय है परन्तु जहां आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति को मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री का दर्जा दिया जाता है, तो वह ऐसे वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाओं के, जिसका इस उप नियम में उपबंध किया गया है के बदले में ऐसे वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाओं का हकदार होगा, जो मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी मंत्री को अनुज्ञेय है।

(2) सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-13-2014-एक(1), दिनांक 25 अप्रैल, 2017 के द्वारा श्री हिम्मत कोठारी, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक

20 मार्च 2017 से मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। अतएव अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग को मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाओं की पात्रता है।

(3) उपरोक्तानुसार श्री हिम्मत कोठारी, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग को कार्यभार ग्रहण के दिनांक अर्थात् 21 मार्च 2017 से वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधायें देय होंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ओ. पी. गुप्ता, उपसचिव.

## महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मई 2017

क्र. 1136-1488-2017-पचास-2.— किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

### अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	शहडोल	शहडोल	श्रीमती सुमन उइके, JMFC
2	टीकमगढ़	टीकमगढ़	श्री चंदन सिंह चौहान, JMFC

No. 1136-1488-2017-L-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column no. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

### SCHEDULE

S.No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Shahdol	Shahdol	Smt. Suman Uike, JMFC
2	Tikamgarh	Tikamgarh	Shri Chandan Singh Chauhan, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पंकज शर्मा, अवर सचिव.